

प्रवेशार्थी निर्देशिका

2023–24

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली
(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर, चमोली)
(प्रवेश नियम, उपस्थिति तथा शैक्षणिक कैलेण्डर)



Website: www.sdsuvcampusgopeshwar.ac.in

सम्बद्ध

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल,

उत्तराखण्ड— 249199

महाविद्यालय : एक परिचय

(College : An Introduction)

भारतीय गणराज्य के सीमान्त जनपद चमोली में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार के महान् उद्देश्य से सन् 1966 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। तब से यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति तथा विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में यह उत्तराखण्ड का एक ऐसा राजकीय महाविद्यालय/परिसर है जहाँ कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों से सम्बन्धित अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है तथा जिसके अधिकांश पाठ्य विषय स्नातकोत्तर स्तर के हैं। सत्र 2022-23 में महाविद्यालय की छात्र संख्या 2769 रही। उच्च स्तरीय शैक्षणिक विकास व स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के साथ-साथ गढ़वाल मण्डल की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति में सहयोग की दृष्टि से भी इस महाविद्यालय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यह महाविद्यालय अपने दायित्व के प्रति सजग, सामाजिक चुनौतियों के प्रति संघर्षरत तथा समस्याओं के समाधान के प्रति कृतसंकल्प है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा सत्र 2003-2004 में इस महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)-बैंगलोर द्वारा फरवरी 2016, में महाविद्यालय का शैक्षणिक गुणवत्ता पुर्नमूल्यांकन करने पर 'A' ग्रेड (3.02 अंक) प्रदत्त किया गया। सुदूर पर्वतीय अंचल का यह महाविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के उच्च श्रेणी के महाविद्यालयों के समकक्ष है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं तथा अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु वे निरन्तर प्रयासरत रहेंगे।

यह महाविद्यालय शासनादेश संख्या 01/XXIV(6)/2017-01(14)/14 द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल के परिसर के रूप में संचालित हो रहा है।

महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययन हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम

संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अध्ययन विषय	उपलब्ध स्थान	EWS 10%	कुल योग		
1 कला संकाय	बी0ए0 I	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. हिन्दी	180	18	198		
			2. अंग्रेजी	180	18	198		
			3. संस्कृत	180	18	198		
			4. अर्थशास्त्र	180	18	198		
			5. इतिहास	160	16	176		
			6. भूगोल	180	18	198		
			7. शिक्षाशास्त्र	160	16	176		
			8. समाजशास्त्र	180	18	198		
			9. राजनीतिशास्त्र	180	18	198		
			10. गृहविज्ञान	100	10	110		
			11. सैन्य विज्ञान	100	10	110		
			12. संगीत	20	2	22		
	एम.ए. I	2 वर्ष (4 सेमे.)	1. हिन्दी	60	6	66		
			2. अंग्रेजी	60	6	66		
			3. अर्थशास्त्र	60	6	66		
			4. राजनीति शास्त्र	60	6	66		
			5. समाजशास्त्र	60	6	66		
			6. भूगोल	60	6	66		
			7. संस्कृत	60	6	66		
			8. सैन्य विज्ञान	20	2	22		
			9. शिक्षाशास्त्र	30	3	33		
			10. इतिहास	60	6	66		
2 विज्ञान संकाय	बी.एससी. I	3 वर्ष (6 सेमे.)	1. जन्तु विज्ञान	140	14	154		
			2. वनस्पति विज्ञान	140	14	154		
			3. भौतिक विज्ञान	140	14	154		
			4. रसायन विज्ञान	140	14	154		
			5. गणित	130	13	143		
			6. भू-विज्ञान	130	13	143		
			एम.एससी. I	2 वर्ष (4 सेमे.)	1. जन्तु विज्ञान	25	2	27
					2. वनस्पति विज्ञान	25	3	28
					3. भौतिक विज्ञान	25	3	28
					4. रसायन विज्ञान	25	3	28
					5. गणित	60	6	66
					6. भू-विज्ञान	20	2	22
3 वाणिज्य संकाय	बी0काम0 I	3 वर्ष (6 सेमे.)	1. वाणिज्य	140	14	154		
	एम0काम0 I	2 वर्ष (4 सेमे.)	1. वाणिज्य	60	6	66		
4. शिक्षा संकाय	बी0एड0 I	2 वर्ष (शासकीय)	1. बी0एड0	50	5	55		
	बी0एड0 I	2 वर्ष (स्ववित्त पोषित)	1. बी0एड0	50	5	55		
5 व्याव. पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0	3 वर्ष (6 सेमे.)	1. बी0बी0ए0	30	3	33		

	पत्रकारिता एवं जनसंचार	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1. पत्रकारिता एवं जनसंचार	30	3	33
	इकोटूरिज्म	स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1 वर्ष	1. इकोटूरिज्म	30	3	33
	बी.सी.ए.	3 वर्ष (6 सेमे.)	2. बी.सी.ए.	30	3	33

नोट-1.. प्रत्येक वर्ष के सभी विषयों में स्थान विश्वविद्यालय/शासन के निर्णय के अनुसार परिवर्तित किये जायेंगे।

प्रवेश नियम सत्र 2023-24

1. प्रवेश सम्बन्धित नियमों हेतु कृपया विश्वविद्यालय (www.sdsuv.ac.in) तथा महाविद्यालय (www.sdsuvcampusgopeshwar.ac.in) की वेबसाईट को देखें।
2. नई शिक्षा नीति 2020, आरक्षण एवं प्रवेश सम्बन्धी नियमों के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियम लागू होंगे।
3. स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश ऑनलाइन माध्यम समर्थ पोर्टल से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक संकाय हेतु अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
4. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0), चरित्र प्रमाण-पत्र, प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल रूप से लगाना आवश्यक है। अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
5. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक हैं।
6. ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) को उचित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
7. प्रवेश मिलने के पश्चात् सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति, प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत केवल एक विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करेगी।
8. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात् किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
10. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
11. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश समितियों का गठन करेंगे, जो अलग-अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
12. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवम् स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
13. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

15. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
16. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
17. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. अतिरिक्त अंक से संबंधित प्रमाण-पत्र के क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि प्रमाण-पत्र में क्रमांक अंकित नहीं है तो इसकी जगह NA का उल्लेख करना अनिवार्य है।
19. बी0ए0, बी0कामै0 एवं बी0एस0सी0 के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
20. बी0एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट अंकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश की अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
21. स्नातक प्रथम वर्ष के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय एवं किसी अन्य विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप-आउट भूतपूर्व छात्र उसी कक्षा की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप-आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया गया हो परीक्षा आवेदन-पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।
22. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
23. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश से वंचित प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
24. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
25. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आवंटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
26. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय-समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे।
27. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह देय नहीं होगी।
28. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
29. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
30. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
31. स्नातक प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस आशय का शपथ-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
32. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक/कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
33. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों साथ ही अभ्यर्थी को किसी राजपत्रित/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
34. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
35. स्नातक प्रथम वर्ष के अतिरिक्त दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

36. प्रवेश समिति/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा जारी की गई वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने की दशा में प्रवेशार्थी का आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी निर्णय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के अनुमोदन एवं सम्बन्धित विषय/संकाय में रिक्त सीटों की उपलब्धता होने की दशा में विचार किया जायेगा।
37. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं० 143/XVII(2)/2 (म०क०)/2021 के क्रम में 21 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश देय होंगे।
38. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में एन०ई०पी० 2020 के तहत महाविद्यालय में प्रवेश देय होंगे।
39. छात्रहित में महाविद्यालय के संसाधनों तथा प्राध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर विषयों का आवंटन/परिवर्तन किया जा सकता है।

समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल

समर्थ शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन के तहत विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुशासन हेतु एक डिजिटल ढांचा तैनात करने के उद्देश्य से बनाया गया है। समर्थ संस्थानों को सक्षम बनाकर उनकी दक्षता को बढ़ाता है। यह भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कैंपस की ओर बढ़ते उच्च शिक्षा संस्थानों के परिवर्तन में एक उत्प्रेरक है।

उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग ने हाल ही में राज्य में शिक्षा प्रणाली के बेहतरीन प्रबंधन, नीतिगत क्रियान्वयन एवं एकरूपता व पारदर्शी बनाने के लिए समर्थ नाम से एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। जिसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से समर्थ पोर्टल के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश हेतु <https://ukadmission.samarth.ac.in/> लिंक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया पूरित की जानी है। इस पोर्टल द्वारा आवेदक एक ही पंजीकरण से राज्य सरकार के तीन विश्वविद्यालयों के 10 महाविद्यालयों में आवेदन कर सकता है।

रा० स्ना० महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समर्थ टीम (डिजिटलाइजेशन समिति) का गठन किया गया है, जिसमें श्री सुमित सिंह नोडल अधिकारी तथा श्री सौरव रावत एवं डा० इमरान अली सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अंतर्गत महाविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कार्मिकों की सम्पूर्ण सूचनार्ये पोर्टल पर अंकित की गई है, तथा सत्र 2022-23 में महाविद्यालय में अध्यनरत लगभग 2500 विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। महाविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक आवेदन कर्ताओं को समर्थ पोर्टल द्वारा पंजीकरण संबंधी जानकारियो हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ हेल्प डेस्क के माध्यम से महाविद्यालय की आई.सी.टी. लैब में आवेदन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है।

महाविद्यालय में प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियों

1- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति निर्धारित शासनादेशों के अनुरूप जिला समाज कल्याण विभाग से प्रदान की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन (Online) करना होता है तथा उसकी 01 प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होती है। आवेदकों के माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय निम्नांकित से अधिक नहीं होनी चाहिए-

1. एस.सी. के अभिभावकों हेतु - 02 लाख 50 हजार
2. एस.टी. के अभिभावकों हेतु - 02 लाख 50 हजार
3. ओ.बी.सी. के अभिभावकों हेतु - 01 लाख, जिन छात्रों का प्रवेश मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत हुआ है ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। केवल काउन्सलिंग से चयनित छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति देय है।

2- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या आश्रितों के लिए है। यह छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर 30.00 रु0 प्रतिमाह स्नातकोत्तर स्तर पर 40.00 रु0 प्रतिमाह अथवा 180.00 रु0 पुस्तकों के लिए मूल्य के रूप में प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाती है। इसके लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त कर 10 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा कर दिया जाता है।

3- प्रतिरक्षा सेवा छात्रवृत्तियाँ :-

(अ) द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के बच्चों या आश्रितों को 20 रूपया मासिक के हिसाब से दो वर्ष तक सैनिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में योग्यतापूर्ण परीक्षाफल प्राप्त करना आवश्यक है। यह छात्रवृत्ति अन्य छात्रवृत्ति के साथ भी प्राप्तव्य है।

आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण परिषद से प्राप्त किये जाते हैं महाविद्यालय से अग्रसारण के पश्चात् जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किये जाते हैं।

(ब) राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में तैनात अथवा देश की सुरक्षा में मारे गये, अपंग हुए, लापता घोषित, मृत विश्वास किये/बन्दी बनाये गये, उत्तर प्रदेश के पी0 ए0 सी0 जवान सशस्त्र पुलिस के बच्चों, आश्रितों, को स्नातक स्तर पर 20 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

निर्धारित प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त होते हैं और सेनानायक पी0 ए0 सी0 का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक है।

4- बी0 एड0 छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष एक छात्र/छात्रा को प्रवेश परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर मिलती हैं जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

5- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा के आधार पर दी जाती है इसका नवीनीकरण स्नातक कक्षाओं में 75 रूपया और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 110 रु0 मासिक के हिसाब से दिया जाता है। स्नातकोत्तर कक्षा में यह छात्रवृत्ति 100 रु0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है। नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत अंक आवश्यक है।

नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रगति आख्या भरकर महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रमाणित कराकर अंक तालिका के साथ 31 जुलाई तक शि0 नि0/उच्च शिक्षा हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को भेजें।

6- संस्कृत छात्रवृत्ति :-

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को संस्कृत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7- निर्धन छात्र सहायता कोष

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास आवेदन-पत्र जमा कर कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

महाविद्यालय में संचालित अन्य शिक्षणत्तर गतिविधिया

1- कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक गतिविधियों को संचालित करने हेतु कैरियर काउन्सलिंग सेल का गठन किया गया है।

2- एस0सी0/एस0टी0 कोचिंग सेन्टर

महाविद्यालय द्वारा एस0सी0/एस0टी0 के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं (I.A.S./P.C.S./NET/SET/बैंकिंग एवं सैन्य सेवाएं, समूह ग) आदि सम्बन्धित तैयारी हेतु कोचिंग कक्षाएँ संचालित की जाती हैं।

3- STUDY CELL FOR COMPETITIVE EXAM

महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं व विषयों में गहन अध्ययन के दृष्टिगत Study cell for competitive exam (NET/ GATE/ SET/JAM etc.) समिति का संकायवार गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।

4- मुख्यमंत्री नवाचार योजना

आत्मनिर्भर भारत अभियान क अंतर्गत मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तत्वाधान में महाविद्यालय में जैविक कृषि केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को जैविक कृषि के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

5- शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करता है। विभाग में सभी आवश्यक खेल उपकरणों और अच्छी भौतिक बुनियादी ढांचे की सुविधाओं जैसे जिमनैजियम हॉल, बैडमिंटन हाल, टेबल टेनिस टेबल एवं विभिन्न खेल सामग्री उपस्थित है। बैडमिंटन हाल में छात्रों हेतु दो सिन्थेटिक बैडमिंटन कोर्ट एवं कबड्डी मैट उपलब्ध है। छात्र-छात्राओं हेतु फिजिकल कंडीशनिंग उपकरण, वेट लिफ्टिंग सेट, एथलेटिक्स, वालीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, खो-खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, बास्केटबाल, इत्यादि खेलों की सामग्री भी विभाग को मजबूत करते हैं।

6- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र:- (कोड सं0 2715)

इस महाविद्यालय में सन् 1989 से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का अध्ययन केन्द्र भी चल रहा है। इस केन्द्र पर चलने वाले पाठ्यक्रम निम्नवत हैं-

- (1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम/प्रारम्भिक पाठ्यक्रम (बी0 पी0 पी0)
- (2) कला स्नातक (बी0ए0)
- (3) विज्ञान स्नातक (बी0एस-सी0)
- (4) वाणिज्य स्नातक (बी0कॉम0)
- (5) कला स्नातकोत्तर (एम0ए0)
- (6) एम0ए0 लोक प्रशासन
- (7) पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 टी0 एस0)

- (8) पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा (डी0 टी0 एस0)
- (9) पर्यटन अध्ययन में स्नातक (बी0 टी0 एस0)
- (10) भोजन एवं पोषण में प्रमाण पत्र (सी0 एफ0 एन0)
- (11) पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 ई0 एफ0)
- (12) ग्राम्य विकास में प्रमाण-पत्र (डी0 आर0 एस0)
- (13) आपदा प्रबन्धन (सी.डी.एम.)
- (14) मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र (सी.एच.आर.)
- (15) पी.जी.डी.आर.डी.
- (16) सी.आई.जी.

7- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र: (केन्द्र सं0 17060)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र इस महाविद्यालय में सम्बद्धता पत्रांक UOU/RSD/2014/852ए दिनांक 26/04/2019 से प्रारम्भ हुआ इस अध्ययन केन्द्र में प्रथम बार प्रवेश ग्रीष्मकालीन सत्र (जुलाई 2019) में हुए जिसमें 320 छात्रों ने प्रवेश लिया वर्तमान में इस अध्ययन केन्द्र में प्रवेशित छात्रों की संख्या ग्रीष्मकालीन सत्र (जुलाई 2022) में 384, व शीतकालीन सत्र (जनवरी 2023) में 190 छात्रों ने प्रवेश लिया है। उ0 मु0 वि0वि0 द्वारा एक सत्र में दो बार परीक्षाएं सम्पादित की जाती है, इन परीक्षाओं को अध्ययन केन्द्र द्वारा शान्ती पूर्ण रूप से सम्पन्न किया जाता है। इस अध्ययन केन्द्र में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित डिग्री एवं डिप्लोमा प्रोग्राम संचालित किये जाते हैं।

1. बी.ए., 2. बी.एससी., 3. बी.कॉम,
2. एम.ए., – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, साइकोलॉजी।
3. एम.एस.सी.– जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित
4. एम.कॉम.
5. सी.ए.
6. एम.सी.ए.
7. एम.एस.डब्ल्यू
8. एम.वाई.
9. पी.जी.डी.जे.एम.सी.

छात्रावास

महाविद्यालय में अध्ययन हेतु दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा निम्नवत् उपलब्ध है :

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	कुल सीटों की संख्या	शुल्क
1	अलकनन्दा	32	रु 5000/- प्रति छात्र
2	भागीरथी	44	रु 5000/- प्रति छात्र
3	महिला छात्रावास	40	रु 5000/- प्रति छात्रा

शिक्षणत्तर गतिविधियों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ

क्र. सं.	शैक्षणिक प्रकोष्ठ	सीटों की संख्या
1	एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)	03 इकाई
2	एन.सी.सी. (नेशनल कैडेट कोर)	04 इकाई
3	रोवर एण्ड रेंजर्स	24 छात्र 24 छात्राएँ
4	यूथ रेडक्रास	60

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	कुल सीटों की संख्या	शुल्क
1	बी.एड.	50	रु 35000/-
2	बी.बी.ए.	30	रु 14279/-
3	पत्रकारिता एवं जनसंचार	30	रु 3000/-
4	इको टूरिज्म	30	रु 3000/-

वार्षिक शुल्क विवरण

मानक मद का नाम	स्नातक	स्नातकोत्तर
राजकोष शुल्क		
प्रवेश शुल्क	6	6
महंगाई शुल्क	240	240
विकास शुल्क	20	20
पुस्तकालय शुल्क	6	10
पंखा शुल्क	5	10
प्रयोगात्मक शुल्क	240	240
शिक्षण शुल्क	0	180
कुल	517	706
महाविद्यालय छात्रनिधि		
परिचय पत्र शुल्क	25	25
क्रीडा शुल्क	200	200
वाचनालय शुल्क	30	30
पत्रिका शुल्क	50	50
विभागीय परिषद शुल्क	50	50
निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10	10
विद्युत शुल्क	60	60
प्रयोगात्मक शुल्क	60	60
महा0 प्रांगण सौन्दर्यीकरण एवं विकास	20	20
सांस्कृतिक परिषद	50	50
कम्प्यूटर शुल्क	70	70
विविध (भवन/फर्नीचर मरम्मत)	100	100
काँउसलिंग सेल शुल्क	30	30
शिक्षक अभिभावक संघ	30	30
महाविद्यालय दिवस	20	20
जनरेटर शुल्क	50	50
पार्किंग शुल्क	30	30
प्रसाधन शुल्क	50	30
रोवर-रेंजर्स शुल्क	60	60
छात्रसंघ शुल्क	70	70
कुल	1065	1065

महाविद्यालय परिवार

प्रो० रचना नौटियाल (प्रभारी प्राचार्य) 8126323995

प्राध्यापक वर्ग

क्र०सं०	प्राध्यापक का नाम	मोबाईल नं०	क्र०सं०	प्राध्यापक का नाम	मोबाईल नं०
भौतिक विज्ञान विभाग			भू-विज्ञान विभाग		
1	डॉ० दिनेश चन्द्र सती	8126208995	1	डॉ० अरविन्द भट्ट	8057904439
2	श्रीमती सुदीप्ता	9897934105	2	डॉ० दीपक कुमार दयाल	7055109024
3	श्री रविशंकर कुनियाल	9760460106	रक्षा अध्ययन विभाग		
4	श्री तुषार कंडारी	9760848730	1	प्रो० एम०के० उनियाल	9411154192
रसायन विज्ञान विभाग			2	डॉ० एम०के० टम्टा	8057014596
1	डॉ० गिरधर जोशी	8755428250	हिन्दी विभाग		
2	श्री रोहित वर्मा	9759838026	1	डॉ० भावना मेहरा	8006117192
3	डा० प्रकाश चन्द्र	7409393488	2	डॉ० संध्या गैरोला	9760499521
4	डॉ० रमन बहुगुणा	9412079208	3	डॉ० दिगपाल सिंह	9897102174
5	डॉ० सुधीर कोटियाल	9411554194	अंग्रेजी विभाग		
6	श्री राजेन्द्र सिंह	9410351728	1	डॉ० दर्शन सिंह नेगी	9760297330
वनस्पति विज्ञान विभाग			2	श्री दिनेश सिंह	9568795969
1	डॉ० प्रियंका उनियाल	7455890507	संस्कृत विभाग		
2	श्री रूपेश कुमार	9456153453	1	डॉ० विनीता नेगी	9411386678
3	डॉ० पूनम टाकुली	9058428817	अर्थशास्त्र विभाग		
प्राणि विज्ञान विभाग			1	डॉ० एस०के० लाल	9719255699
1	डॉ० एस०पी० उनियाल	9410145564	2	डॉ० अभय कुमार	8958523310
2	डॉ० बी०पी० पोखरियाल	9411587925	3	डॉ० राकेश कुमार मिश्र	9559563109
3	डॉ० मनीष कुकरेती	9458366636	भूगोल विभाग		
4	डॉ० सुनील भण्डारी	7890971386	1	डॉ० भगवती प्रसाद देवली	9411181511
गणित विभाग			2	डॉ० पी०एल० शाह	7500857271
1	श्री राजेश कुमार मौर्य	7881197278	3	डॉ० बी०सी०एस० नेगी	9927079213
2	श्री इमरान अली	8923108929	4	डॉ० हर्षी खण्डूड़ी	9410067181
3	डॉ० अनीता	8937881498	इतिहास विभा		
4	डॉ० मुकेश शर्मा	9639555036	1	डॉ० एस०एस० रावत	9411123425

राजनीति विज्ञान विभाग			समाजशास्त्र विभाग		
1	डॉ० जगमोहन सिंह नेगी	9411386678	1	डॉ० अनिल कुमार सैनी	9756671432
2	डॉ० मनीष कुमार मिश्रा	9411390943	2	कु० ऋतु	8171644151
3	डॉ० राजविलोचन नैथानी	8979359846	3	डॉ० रचना टम्टा	8937905940
गृह विज्ञान विभाग			एम०एड० विभाग		
1	श्रीमती प्रियंका टम्टा	9997003226	1	डॉ० चन्द्रेश	9012797730
2	डॉ० रंजू बिष्ट	9445392767	2	डॉ० मनोज प्रसाद नौटियाल	9759487239
शिक्षाशास्त्र विभाग			3	डॉ० श्याम लाल	8126049102
1	श्री सुमित सिंह	8126049102	4	डॉ० सबज कुमार	9717163664
संगीत विभाग			5	श्रीमती विधि ढौंडियाल	8126965418
1	डॉ० मनीष डंगवाल	9412948129	6	डॉ० सरिता पंवार	9411129660
शारीरिक शिक्षा विभाग			स्वत्ति पोषित बी०एड० विभाग		
1	डॉ० ललित मोहन तिवारी	9012761130	1	डॉ० रमाकान्त यादव	7830739376
वाणिज्य			2	डॉ० नाभेन्द्र गुसाईं	9917905244
1	डॉ० मनोज सिंह बिष्ट	9458976337	3	डॉ० बबीता	9719769342
2	डॉ० सौरव रावत	9997262574	4	कु० समीक्षा	7302966950
3	डॉ० वन्दना लौहनी	9306996731	5	कु० रूपीन कण्डारी	9557592988
4	डॉ० राजेश कुमार	9675729356	स्ववित्त पोषित- बी०बी०ए० (त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)		
राज्य पोषित बी०एड० विभाग			1	डॉ० सौरव रावत	9997262574
1	प्रो० स्वाति नेगी	8979674054	स्ववित्त पोषित- पत्रकारिता एवं जनसंचार (एक वर्षीय डिप्लोमा)		
2	प्रो० बी०सी० शाह	9897883188	1	डॉ० एस०पी० उनियाल	9410145564
3	डॉ० अखिलेश कुकरेती	9528021480	स्ववित्त पोषित- इको टूरिज्म (एक वर्षीय डिप्लोमा)		
4	डॉ० अखिल चमोली	9997489692	1	डॉ० जगमोहन सिंह नेगी	9411386678
5	डॉ० ममता असवाल	9627920642			
6	डॉ० हिमांशु बहुगुणा	7579201794			
7	श्री कुलदीप सिंह	9410329767			

कर्मचारी वर्ग

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं०	क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं०
प्रशासनिक कार्यालय			रसायन विज्ञान विभाग		
1	श्री रघुवीर लाल	7817828208	1	श्री योगेन्द्र लिंगवाल	8272897542
2	श्री दिगम्बर सिंह नेगी	9719137141	2	श्री मनीष परमार	9411130035
3	श्रीमती कल्पना पुरोहित	7895741309			
4	श्री अंशुमन सिंह चौहान	8218134405	भौतिक विज्ञान विभाग		
5	श्री युद्धवीर सिंह	9761460073	1	श्री सूरज कुमार	9634821630
6	श्री कुँवर सिंह राणा	9997276198			
7	श्री दर्शन सिंह	9758819680			
8	श्री सन्तोष	6398259377	वनस्पति विज्ञान विभाग		
9	श्री पपेन्द्र सिंह	9675982895	1	श्रीमती गायत्री देवी	9927232881
10	श्री पंकज सिंह	7617740552			
11	श्री सुमित	9837303541			
12	श्री विनोद सिंह	9675758350	भूगोल विभाग		
			1	श्री मुकेश चन्द्र	9897886124
पुस्तकालय					
1	श्री धन प्रकाश	9760212535	सैन्य विज्ञान विभाग		
2	श्री संदीप पुरोहित	9760169174	1	श्री हुकम सिंह	7535979658
3	श्री विक्रम गुँसाई	9917904956			
			संगीत विभाग		
			1	श्री राजदीप लखेड़ा	8006582709
वाचनालय					
1	श्री पुष्कर सिंह	9027561822	बी०एड० विभाग		
			1	श्री मनोज तिवाड़ी	8755716294
प्राणि विज्ञान विभाग					
1	श्री राजेश सिंह चौहान	9458330585	स्ववित्त पोषित बी०एड० विभाग		
2	श्री भूपेन्द्र सिंह	7409223007	1	श्री राजेन्द्र सिंह	9568129026
			2	श्री दलीप कुमार	9927680480
भू-विज्ञान विभाग			3	श्री विनीत डिमरी	9411514936
			4	श्री सतीश डिमरी	9760571955
1	श्रीमती रंजना देवी	8273673400	5	श्री ज्ञान सिंह	8868813828